

भाग दो : खण्ड चार

वनोपज का राष्ट्रीय व्यापार

मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969

(मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 9, वर्ष 1969)

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त, 1969 अधि. क्र. 21438-इक्कीस अ (प्रा.) मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 31 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

कतिपय वनोपज के व्यापार को, लोकहित में, विनियमित करने और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :

धारा 1. संक्षिप्त नाम विस्तार - (1) यह अधिनियम, मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 कहा जावेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है।

(3) (एक) यह, ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसी वन उपज के सम्बन्ध में तत्काल प्रवृत्त होगा, जिन्हें मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश 1969, जो धारा 23 के अधीन निरस्त कर दिया गया है, की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, और

(द) ऐसे अन्य क्षेत्र या क्षेत्रों में तथा ऐसे अन्य वन उपज के सम्बन्ध में तथा ऐसी तारीख या तारीखों से प्रवृत्त होगा या जिसे या जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें।

नोट - विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों में वन उपज में प्रवृत्त होने की सूचनायें निम्नानुसार हैं :

अधिसूचना क्र.	प्रवृत्त होने का दिनांक	क्षेत्र	वन उपज विशेष
(1) 3544/X/69 21-6-69	दि. 21.6.69	सम्पूर्ण मध्य प्रदेश वन वृत्त बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, होशंगाबाद, शहडोल, रीवा, मध्य (जबलपुर) तथा, बालाघाट	महुआ फूल, महुआ बीज कुल्लू गाँव 'विलोपित
(2) 289-1344-X 1-9-1970 (3) - 70 10-8-70	1-9-1970	सीधी, शहडोल, सरगुजा, (केवल चाँद भखार वन खण्ड) होशंगाबाद, बैतूल, दुर्ग एवं बस्तर राजस्व जिले	सागौन (टेक्टोना ग्रेडिस) साल (शौरिया रोबस्टा) साज (टर्मिनेलिया टोमेन) टोसा बीजा (टारोकार पास मारसूपियम
(3) 706-503-X (3) - 72 दिनांक 12-6-72 पृष्ठ 1734		1. पूरा मध्य प्रदेश 2. पूरा मध्य प्रदेश 3. राजस्व जिले, सीधी, शहडोल, सरगुजा, (केवल चाँद भरवार वन मण्डल) होशंगाबाद, बैतूल, रायपुर, दुर्ग, बस्तर)	महुआ फूल, महुआ बीज साज (टर्मिनेलिया टोमेनटोसा)
(4) 30-31-73-3-1 दस/दि. 30-6-73	1 जुलाई 1973	रायसेन, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, सिवनी, तथा छिन्दवाडा राजस्व जिले	सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) साल (शौरिया रोबस्टा) बीजा (टारोकारपस मारसूपियम,) शीशम (डलबर जिया लेटिफोलिया की इमारती लकड़ी
(5) 704-503-10 (10)-3-72 दि. 12-6-72 राजपत्र दि.		राजस्व जिले सीधी, शहडोल, सरगुजा (केवल चाँद भरवारा वन मण्डल), होशंगाबाद, बैतूल, रायपुर, दुर्ग, तथा बस्तर	शीशम (डलबरजिया लेटिफोलिया) इमारती लकड़ी

12-6-72, पृष्ठ 1735			
(6) 1290-896-X 4-72 दि. 14-9-72 राजपत्र 14-9-72	14.9.72	सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ राजस्व जिले	सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) साल (शोरिया रोबस्टा) बीजा (टिरोकारपस मारसूपियम), शीशम (डलबरजिया लेटिफोलिया) की इमारती लकड़ी
(7) 86-73- 1- दस दि. 9-11-73 राजपत्र दि. 10-9-73 पृष्ठ 36	9.11.73	रायपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगाव, बिलासपुर, रायगढ़ सरगुजा, जबलपुर, बालाघाट, छिन्दवाडा, नरसिंहपुर, सिवनी, मण्डला, रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, शहडोल, पूर्व निमाड, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़, छतरपुर।	² सभी प्रकार के बाँस

1. अधि. क्र. 25-28-03 दस-3 दि. 28.6.03 से 1-7-03 से कुल्लू को छोड़ अन्य गोंद तथा हर्षा- निर्मुक्त।
2. शब्द "सभी जाति के बाँस" विधान क्र. 5 वर्ष 1974 (दि. 2-2-74) पृष्ठ 161 पर राजपत्र में प्रकाशित से जोड़ा।

(8) 30-16-1974 - X-3-1 दि. 31-8-1974 पृष्ठ 2101	1-9-74	नरसिंहपुर, मण्डला, जबलपुर, खण्डवा	सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) शीशम (डलबरजिया लेटिलोलिया), साल (शोरिया रोबस्टा)
(9) 31-9-75 3-1-X दि. 9-12-75 9-12-75 पृष्ठ	9-12-75	राजस्व जिले बस्तर, रायपुर, बालाघाट, सीधी, छिन्दवाडा, मण्डला, जबलपुर, राजनांद गांव होशंगाबाद।	¹ साल बीज
(10) 30-37-76- III-K दिनांक 24.9.76 राजपत्र दि. 24.9.76 पृष्ठ 2867		राजस्व जिले रीवा, सतना, सरगुजा, (उत्तर तथा दक्षिण सरगुजा वन मण्डल) इन्दौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, देवास, धार, झाबुआ, पश्चिम निमाड, ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, गुना।	सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस), (शोरिया रोबस्टा) बीजा (टिरोकारपस मारसूपियम) शीशम (डलबरजिया लेटिलोलिया) की इमारती लकड़ी
(11) 30-1-75-3 X- 1 दि. 9-10-75 राजपत्र दि. 10-10-75 पृष्ठ 2302	10-10-75	सम्पूर्ण मध्य प्रदेश	खैर (अकेशिया केटेच्यु)

म.प्र. (वन उपज) व्यापार विनियम अधिनियम, 1969 की धारा 22 (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा यह निर्देश देती है कि 1 जुलाई, 2003 के कुल्लू गोंद को छोड़कर हर्षा तथा समस्त प्रकार की गोंद, सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के विनिर्दिष्ट वनोपज नहीं रहेगी।

धारा 2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) 'अभिकर्ता' से अभिप्रेत है, धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया अभिकर्ता।

(ख) 'कोड' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20, वर्ष 1959)

¹(ग) 'समिति' से अभिप्रेत है धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राजस्व आयुक्त के संभाग के लिए गठित समिति।

(घ) 'वन उपज' से अभिप्रेत है 'सभी जाति की, काष्ठ, खैर, (कत्था) (केटेच्यु) खदिर (कुछ),

1. "साल बीज" अधिसूचना क्र. 1241/21::;/ दि. 5-5-75, राजपत्र दि. 5-5-75 पृष्ठ 119 पर प्रकाशित से जोड़ा गया।
2. परिभाषा 'घ' में सभी जाति के अधि क्र. 5 वर्ष 1974 (2.2.74) जो राजपत्र में 2.2.74 के प्रकाशित से जोड़ा गया।

कुल्हू गोंद, (धावड़ा गोंद, बबूल गोंद, खैर गोंद, साल की राल (Resin), सालई की राल (Salai Resin), रोशा घास, रोशा घास का तेल, समस्त रूप में लाख, चपड़ा, महुआ के फूल, महुआ बीज, (टोली), निचरोंजी 'साल बीज, गुठली, हर्षा और कचरिया, माहुल के पत्ते, माहुल की छाल, फूल बुहारी घास या फूल बुहारी।

- (ङ) 'शासकीय पट्टाधारी', से अभिप्रेत है कोड की धारा 181 के अधीन राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाला व्यक्ति
- (च) 'वन' उपज उगाने वाला व्यक्ति।
- (एक) उन क्षेत्रों में, जो समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) के अधीन आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किए गए हों, उगाई गई या पाई गई वनोपज के संबंध में राज्य सरकार से है, और,
 - (दो) उपर्युक्त (एक) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में उगाई गई या पाई गई वन उपज के सम्बन्ध;
 - (क) राज्य सरकार से है, जहाँ वन उपज कोड की धारा 2 के उपधारा (1) की क्लाज (x-3) में यथा परिभाषित दखल रहित भूमि पर उगाई या पाई जावे।
 - (ख) किसी इकाई के अन्तर्गत आने वाले, यथास्थिति ऐसे खाते के उधारी या भाड़ेदार (Tenant) या शासकीय पट्टेधारी (Government Lessee) या ऐसी सेवा भूमिधारी (Holder or Service land) से है। जिसमें वन उपज अगती हो या पाई जाती हो या उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, जो समय-समय पर उसके माध्यम से ऐसी वन उपज पर हक का दावा करता हो, और
 - (ग) किसी ऐसी इकाई में, जिसमें की वन उपज उगती हो या पाई जाती हो, मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्र. 28, वर्ष 1968) के अधीन भूदान धारक से है और उसके अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आता है, जो समय-समय पर उसके माध्यम से वन उपज पर हक का दावा करता हो।
- (छ) खाता से अभिप्राय -
 - (एक) ऐसे भूमि खण्ड से है जिसका भूराजस्व पृथक से निर्धारित हुआ हो और जो एक ही धारणाधिकारी (Tennure) के अधीन धारित हो, और
 - (दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टेधारी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शर्तों के अधीन यथास्थिति भूमि स्वामी या राज्य सरकार से धारण किये गये भूमि खण्ड से है।
 - (ज) सेवा भूमि के धारक से अभिप्रेत है गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला व्यक्ति।
 - (झ) 'अनुज्ञप्त विक्रेता' (Licence Vendor) से अभिप्राय, विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से है, जिसे ऐसी वन उपज के फुटकर विक्रय के लिये धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो।
 - (ञ) 'फुटकर विक्रय' (Retail Sale) से अभिप्रेत है, ऐसे परिणाम से, जिसे की राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, अधिक न होने वाली किसी विनिर्दिष्ट वन उपज का विक्रय।

-
1. परिभाषा 'घ' में साल बीज अधि. क्र. 1241/21/A/दि. 5.5.75 (राजपत्र में पृष्ठ 119 दि. 5.5.75 को प्रकाशित से जोड़ा गया।

- (ट) 'विनिर्दिष्ट क्षेत्र' (Specified Area) से अभिप्राय किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में, ऐसे क्षेत्र से है, जो कि धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में ऐसी विनिर्दिष्ट वनोपज के लिये विनिर्दिष्ट किया हो।

- (ठ) 'विनिर्दिष्ट वन उपज' से अभिप्राय, विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी वन उपज से है जो धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में ऐसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये विनिर्दिष्ट की गई हो।
- (ड) भाड़ेदार (Tenant) से अभिप्रेत है कोड के चौदहवें अध्याय अधीन भूमि स्वामी से मौरूसी काशतकार (Occupancy Tenant) से रूप में भूमि धारण करने वाला व्यक्ति।
- (ढ) 'भूधारी' (Tennure Holder) से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता हो और जो कोड के उपबन्धों के अधीन भूमि स्वामी हो, या भूमि स्वामी माना गया हो।
- (ण) 'काष्ठ' (Kashtha) से अभिप्रेत है निम्नलिखित वृक्षों की, खड़ी हुई (Standing) या काट कर गिराई गई समस्त लकड़ी चाले वह किसी प्रयोजन के लिये काटी गई हो, (Fashioned) या खोखली की गई हो (Hollowed) अथवा नहीं -सागौन (Tectona grandis)

साल	(Shorea robusta)
बीजा	(Pterocarpus marsupium),
तिन्सा	(Ouginia dalbergoides),
शीशम	(Delbergia latifolia),
धाबड़ा	(Aenogeissus latifolia),
साज	(Terminalia tomentosa),
महुआ	(Madhuka latifolia),
भिर्सा	(Chloroxylon swietenia)
करंज	(Pongamia glabra),
तेन्दू	(Diospyros melonoxylon),
लेंडिया	(Lagerstromea parviflora),
सालाई	(Boswellia parviflora),

- (त) इकाई (unit) से अभिप्रेत है विनिर्दिष्ट क्षेत्र का वह उपखण्ड जो धारा 3 के अन्तर्गत इकाई के रूप में गठित किया गया हो।
- (थ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इस अधिनियम में उपयोग में लाई गई किन्तु परिभाषित नहीं की गई हों और जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्र. 16 वर्ष 1927) में परिभाषित की गई हो, वही अर्थ होगा जो कि उनके लिये उस अधिनियम में दिया गया है।

धारा 3. इकाइयों का गठन - राज्य सरकार प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकेगी, जितनी कि वह उपयुक्त समझे, किन्तु विनिर्दिष्ट क्षेत्र को, भिन्न-भिन्न विनिर्दिष्ट वनोपज के लिये भिन्न-भिन्न इकाइयों में विभाजित किया जा सकेगा।

1. मध्य प्रदेश विधान क्र. 28 वर्ष 1983 जो म. प्र. राजपत्र दि. 9 अगस्त, 1983 (पृष्ठ 2264) पर प्रकाशित के द्वारा संशोधित परिभाषा एवं वृक्षों की सूची।

धारा 4. अभिकर्ताओं की नियुक्ति - (1) राज्य सरकार विनिर्दिष्ट, वन उपज के अपनी ओर से क्रय तथा व्यापार हेतु, भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिए समस्त या किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये एक या अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगी, तथा कोई भी ऐसा अधिकर्ता एक से अधिक इकाइयों के लिये नियुक्ति किया जा सकेगा।

(2) 'किसी सहकारी सोसायटी, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत को उपधारा (1) के अधीन अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकेगा और उस दशा में जब पूर्वोक्त में से कोई भी अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये नहीं आता (स्वीकार नहीं करता), तब ही किसी अन्य व्यक्ति को अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) अभिकर्ताओं के लिये नियुक्ति के सम्बन्ध में निबन्धन एवं शर्तें तथा प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जावे।

धारा 5. विनिर्दिष्ट वन उपज के क्रय या परिवहन पर निबन्धन - (1) किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर :

(क) राज्य सरकार

(ख) इस सम्बन्ध में लिखित रूप से प्राधिकृत किये गये राज्य सरकार के कोई अधिकारी।

(ग) जिस इकाई में वन उपज उगाई हो या पाई जाती हो, उस इकाई से सम्बन्धित अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज का ऐसे क्षेत्र में न तो क्रय करेगा और न परिवहन करेगा।

स्पष्टीकरण - 1. क्रय में वस्तु विनिमय (Barter) द्वारा क्रय सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण - 2. राज्य सरकार या पूर्वोक्त शासकीय अधिकारी, अभिकर्ता या अनुज्ञप्त विक्रेता² या धारा 12(क) के द्वारा किया गया विनिर्दिष्ट वनोपज का क्रय, इन नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया क्रम नहीं समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण - 3. खाते में कोई हित न रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसने कि ऐसे खाते में उगाई गई या पाई गई, विनिर्दिष्ट वन उपज का संग्रह का अधिकार अर्जित कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर ऐसी उपज का क्रय किया है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

(क) महुआ से भिन्न वन उपज उगाने वाला, अपनी उपज का परिवहन उस इकाई के भीतर, जिसमें कि ऐसी वन उपज उगाई जाती हो या पाई जाती हो किसी स्थान से, उस इकाई में के किसी अन्य स्थान को कर सकेगा और महुआ उगाने वाला महुआ को अपे कब्जे में रख सकेगा और उसका परिवहन उस जिले के भीतर के, जहाँ कि महुआ उगाया जाता हो या पाया जाता हो, किसी स्थान से उस जिले के किसी स्थान को कर सकेगा।

(ख) कोई व्यक्ति ऐसे परिमाण में, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावे, अनधिक वन उपज का परिवहन, ऐसी वन उपज के क्रय स्थान से उस स्थान तक कर सकेगा जहाँ कि ऐसी उपज उसके (व्यक्ति के) वास्तविक उपयोग (Bonafide) या उपभोग (Consumption) के लिए अपेक्षित हो।

-
1. मध्य प्रदेश विधान क्र. 28 वर्ष 1983 जो राजपत्र दि. 9 अगस्त 1983 के पृष्ठ 2264 पर प्रकाशित हुआ के द्वारा नवीन धारा 4(2) संस्थापित की गई।
 2. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम वर्ष 1990 से धारा 5 के स्पष्टीकरण (2) में संशोधित किया।

¹(ग) ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज का, जिसका क्रय राज्य सरकार से या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट किये गये किसी आफिसर या अभिकर्ता से किसी व्यक्ति के, राज्य के भीतर ऐसे माल के जिसमें कि किसी विनिर्दिष्ट वन उपज कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हो, विनिर्माण के लिए या किसी व्यक्ति ने राज्य के बाहर विक्रय के लिए किया हो अथवा जिसका क्रय अनुज्ञप्त विक्रेता ने किया हो, परिवहन ऐसे व्यक्ति द्वारा, उस सम्बन्ध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, और ऐसी फीस का संदाय किया जाने पर, जैसा कि विहित किया जाए, जारी किये जाने वाले अभिहन पास के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। विभिन्न आकार की परिवहन गाड़ियों के लिए फीस की विभिन्न दरें विहित की जा सकेंगी, और

(घ) कोई भी व्यक्ति, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में किसी वन में निस्तार का अधिकार हो, अपने घरेलू उपयोग या उपभोग के लिए ऐसी उपज का, ऐसे परिणाम में तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, परिवहन कर सकेगा।

(3) विनिर्दिष्ट वन उपज का विक्रय करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उसे पूर्वोक्त शासकीय अधिकारी या अभिकर्ता को उक्त इकाई के भीतर स्थिति किसी भी डिपो में बेच सकेगा;

परन्तु, राज्य सरकार, शासकीय अधिकारी या अभिकर्ता एक बार बेची गई विनिर्दिष्ट वन उपज को पुनः क्रय करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

नोट - (1) निबन्धन केवल तभी लागू होगा जब सम्बन्धित विनिर्दिष्ट वनोपज के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी हो। यदि अधिसूचना जारी नहीं होगी, तो निबन्धन लागू नहीं होगा। शासन वि. निरपत 1988 MPWN 44 = 1988 मनिसा हा. को नोट 77 पेज 285।

²(धारा 6. विलुप्त)

²(धारा 7. सरकार मूल्य नियत करेगी - राज्य सरकार ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए वह मूल्य नियत करेगी जिस पर कि विनिर्दिष्ट वन उपज उगाने वालों से उसके द्वारा या उसके किसी प्राधिकृत आफिसर या अभिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय किया जाएगा :

परन्तु भिन्न-भिन्न इकाईयों के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य नियत किये जा सकेंगे और ऐसा करने में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाएगा :

(क) विनिर्दिष्ट वन उपज के मूल्य जो इकाई में समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान प्रचलित रहे हों या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन नियत किये गये हों;

(ख) इकाई में की वन उपज की क्वालिटी,

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें,

(घ) परिवहन का खर्च, और

(ङ) इकाई में प्रचलित अकुशल मजदूरों की मजदूरी का सामान्य स्तर।

धारा 8. डिपो का खोला जाना तथा मूल्य सूची आदि का डिपो पर प्रकाशन - प्रत्येक इकाई में ऐसी संख्या में, तथा ऐसे स्थानों पर, जिनको कि राज्य सरकार, विनिर्दिष्ट वन उपज उगाने वालों की सुविधा का विचार करते हुए निर्देश दे, डिपो (क्रय केन्द्र) स्थापित किये जावेंगे और विनिर्दिष्ट वन उपज की मूल्य सूची, जो कि धारा 7 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत की गई हो, तथा काम काज के घण्टे उस सूचना फलक, पर, प्रमुख रूप से सम्प्रदर्शित (Displayed) किये जावेंगे, जो कि उस प्रयोजन के लिये प्रत्येक ऐसे डिपो में रखा गया है।

धारा 9. राज्य सरकार या अभिकर्ता विनिर्दिष्ट वनोपज का क्रय करेगा - (1) राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता काम काज के घण्टों में डिपो में विक्रय के लिए लाई गई विनिर्दिष्ट वन उपज को धारा 7 के अधीन नियत किये गये मूल्य पर क्रय करने के लिए बाध्य होगा।

परन्तु राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह स्वतन्त्रता होगी कि वह किसी भी ऐसी विनिर्दिष्ट वनोपज का क्रय करने से इंकार कर दे, जो कि उसकी राय में उपभोग के प्रयोजन के लिये या विनिर्माण के हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाने के लिए या व्यापार के लिये उपयुक्त न हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के परन्तु के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी या अधिकर्ता द्वारा उसकी विनिर्दिष्ट वनोपज के अस्वीकार किये जाने के कारण व्यथित हो, ऐसी अस्वीकृति के पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसी इकाई पर जिसमें कि विनिर्दिष्ट वन उपज लाई गई हो या पाई गई हो, अधिकारिता रखने वाले 'वन खण्ड का भार साधक अधिकारी या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सशक्त किये गये अन्य अधिकारी को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, यथास्थिति 'वन खण्ड का भार साधक अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी विहित रीति में जाँच करेगा, और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह ठीक समझे और उस दशा में जब कि वह विनिर्दिष्ट वन उपज के अस्वीकार किये जाने को अनुचित समझे, तो वह

(क) यदि वह प्रश्नगत विनिर्दिष्ट वन उपज को अब भी उस विनिर्माण के लिये, जिसमें ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज उपयोग में लाई जाती हो, या व्यापार के लिये उपयुक्त समझता हो, यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को उसका क्रय करने का निर्देश दे सकेगा और व्यथित व्यक्ति को ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर, जैसा कि वह उचित समझे, और जो विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये देय मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, दिया सकेगा।

(ख) यदि वह समझे कि प्रश्नगत वन उपज इस बीच, उस विनिर्माण के लिये, जिसमें कि ऐसी वन उपज उपयोग में लाई जाती हो, या व्यापार के लिये अनुपयुक्त हो गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि व्यथित व्यक्ति को किसी ऐसी रकम का, जो कि उपधारा (1) के अधीन उसको ऐसी उपज के लिये देय मूल्य से कम न

हो, तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि के लिये नुकसानी के रूप में ऐसे अतिरिक्त प्रतिकर का जैसा कि वह उचित समझे और जो ऐसे मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक न हो के भुगतान का आदेश दे सकेगा।

(4) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि, यदि राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रय के लिए प्रस्तुत की गई उपज राज्य सरकार के वनों की भूमियों की है, तो वह उसको अधिकार में लेने और केवल ऐसे संग्रहण सम्बन्धी प्रभारों का यदि कोई हो, जैसे कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे, संदाय करने में कोई रूकावट आती है :

1. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 2009 (क्र. 11 वर्ष 2009) द्वारा संशोधित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 3.8.09 को पृष्ठ 781-782 पर प्रकाशित।

परन्तु किसी विवाद की दशा में खंडीय वन अधिकारी, या ऐसा अन्य अधिकारी जो कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किये गये रूप में इस सम्बन्ध में विशेष रूप में (Specifically) सशक्त कर दिया जावे, उसमें उपबंधित रीति में उसे सुनेगा और उसका निपटारा करेगा।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासन वन विभाग अधिसूना क्र. 4247/दस 69 दिनांक 1 अगस्त, 1969 राज्य शासन वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 9 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त परिक्षेत्र अधिकारियों को (वन उपज के परिक्षेत्र अधिकारियों सहित) उक्त धारा की उपधारा (2) के आयोजन के लिये सशक्त किया है।

धारा 10. रजिस्ट्रीकरण - विनिर्दिष्ट वन उपज को उगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि यह सम्भावना हो कि वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाई गई वन उपज का परिमाण, ऐसे परिमाण से, जो कि विहित किया जाए, अधिक हो जायेगा, स्वयं को विहित रीति में रजिस्ट्रीकृत करा लेगा।

धारा 11. विनिर्दिष्ट वन उपज के निर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण - (1) प्रत्येक निर्माता जो किसी विनिर्दिष्ट वन उपज को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाता है, और प्रत्येक व्यापारी या कोई उपभोक्ता, जिसका यथास्थित वार्षिक उपयोग (Use), आवश्यकता (Requirement) या उपभोग (Consumption) ऐसे परिमाण से, जो विहित किया जाए, से अधिक हो, तो ऐसी कालावधि के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाय, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करा लेता।

(2) ऐसा प्रत्येक विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता, ऐसी घोषणायें, लेखे तथा विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में, तथा ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे अन्तरालों पर, जो कि विहित किये जावे, पस्तुत करेगा।

टिप्पणी - (1) हसबंस लाल वि. म. प्र. राज्य (M.P.L.J. 1983 नोट 7) में यह निर्णय लिया गया है कि इस अधिनियम की धारा 11 में वन मण्डलाधिकारी को विनिर्दिष्ट वनोपज के निर्माताओं का पंजीयन करने के लिए विधिक अधिकार प्राप्त हैं। वन मण्डलाधिकारी को प्रशासकीय आदेश के द्वारा विधिक प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है।

धारा 12. विनिर्दिष्ट वन उपज का व्ययन - इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उसके अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा क्रय की गई विनिर्दिष्ट व उपज ऐसी रीति में जैसी राज्य सरकार निर्देश दे बेच दी जायेगी या उसका अन्यथा व्ययन कर दिया जायेगा।

¹(धारा 12 (क) विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त विनिर्दिष्ट वन उपज का पुनः विक्रय - (1) कोई भी ऐसी विनिर्माता, जो किसी वन उपज का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है या विनिर्दिष्ट वन उपज का कोई व्यापारी या उपभोक्ता जिसके पास ऐसी उपज उसके उपयोग, आवश्यकता या उपभोग के पश्चात् अतिरिक्त बची रह जाती हो, उसका पुनः विक्रय राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये शिकसी आफिसर (जो इस धार में इसके पश्चात् प्राधिकृत आफिसर के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। ऐसा विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता जो अपने पास अतिरिक्त बच रही विनिर्दिष्ट वन उपज को बेचने का आशय रखता हो, अनुज्ञा के लिए राज्य सरकार या प्राधिकृत आफिसर को लिखित में आवेदन करेगा जिसमें-

(एक) बेची जाने की आशयित विनिर्दिष्ट वनोपज के परिमाण का,

(दो) उस दर का जिस पर ऐसी उपज विक्रय हेतु प्रस्थापित की जाती है, और

(तीन) उस व्यक्ति का जिसको ऐसी प्रस्थापना की गई है। स्पष्ट तौर पर कथन किया जायेगा।

1. धारा 12(क) म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधि. 1986 (15 वर्ष 87) जो राजपत्र दि. 24.1.87 पृष्ठ 322-323 पर प्रकाशित द्वारा जोड़ी गई।

(2) विनिर्दिष्ट वन उपज का ऐसा कोई भी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता, जो उपधारा (1) में वर्णित ऐसी वन उपज का क्रय करने का आशय रखता हो, उसका क्रय राज्य या प्राधिकृत आफिसर की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। ऐसा रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता अनुज्ञा के लिये राज्य सरकार या प्राधिकृत आफिसर को लिखित आवेदन करेगा, जिसमें विक्रेता का नाम क्रय की जाने वाली ऐसी वन उपज के परिमाण का तथा उसके लिए तय पाई गई दर का स्पष्ट तौर पर कथन किया जाएगा।

(3) विनिर्दिष्ट वन-उपज का पुनर्विक्रय करने के लिए उपधारा (1) अधीन आवेदन पत्र तथा ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय करने के लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार या प्राधिकृत आफिसर, क्रेता द्वारा ऐसी फीस का जो विहित की जाय, (1)..... भुगतान किया जाने पर दोनों को लिखित में अनुज्ञा दे सकेगा।

टिप्पणी - (1) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ भोपाल ने राम जुडावन तिवारी वि. वन संरक्षक भोपाल के प्रकरण पर यह निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ता तथा शासन के बीच भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन संविदा का पालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में राज्य शासन को होने वाली क्षति की वसूली भूराजस्व के बतौर वसूल की जाने योग्य नहीं है। कारण कि दोनों पक्षों के बीच संविदा हुई ही नहीं तथा ऐसे प्रकरण पर वन अधिनियम की धारा 82 आकृष्ट नहीं होती। (मध्यप्रदेश वीकली नोट्स 1980 पार्ट क्रमांक 303)

टिप्पणी - (2) धारा 2(5) तथा 12 पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ने निर्णय प्रदान किया है कि राज्य शासन साल के बीज के तेल निकालने वाले उद्योग के सम्बन्ध में नई नीति घोषित करते समय, नई एवं पुरानी यूनिट के सम्बन्ध में आरक्षण की नीति अपना सकती है। राज्य शासन के द्वारा राज्य की 190 खंड को मध्य प्रदेश स्टेट सहकारी, मार्केटिंग फेडरेशन के लिये सुरक्षित रखने की नीति को विधिमान्य माना।

(देखें - म.प्र. आइल एक्सटेक्शन प्रायवेट लि. वि म.प्र. राज्य व अन्य, M.P.L.J. 1983 पृष्ठ 579)

धारा 13. वन उपज का फुटकरा विक्रय - (1) कोई भी व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकरा विक्रय में इस धारा के अधीन मन्जूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन ही स्वयं को लगावेगा अन्यथा नहीं।

(2) राज्य शासन, राज्य के भीतर, विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय को सुगम बनाने के प्रयोजन के लिये, उतने व्यक्तियों को अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी, जितने कि वह उपयुक्त समझे।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कि विनिर्दिष्ट वनोपज के फुटकर विक्रय में स्वयं को लगाना चाहता हो, ऐसे प्रारूप में ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाये, आवेदन पत्र देगा।

(4) विहित अधिकारी, ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो कि विहित की जाये, ऐ निबन्धनों (Terms) तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाये, अनुज्ञप्ति मन्जूर कर सकेगा या उसका नवीनीकरण कर सकेगा।

धारा 14. शक्तियों का प्रत्यायोजन - राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपनी शक्ति या कृत्यों में से कोई भी शक्ति या कृत्य सहायक वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी भी आफिसर या प्राधिकारी (Authority) को प्रत्यायोजित (Delegate) कर सकेगी, जो कि उसे ऐसी शर्तों से तथा निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसे कि राज्य सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोग में लायेगा या उसका पालन करेगा।

नोट - मध्य प्रदेश शासन ने इस धारा के अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकृत किया है - क्र. 4248/X/69 दि. 1 अगस्त, 1969 मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित अपनी शक्तियों को, अनुसूची के कालम (3) तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आफिसरों को प्रत्यायोजित (Delegate) करता है जो उक्त सूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निबन्धों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए उन्हें प्रयोग में लावेंगे।

क्रमांक	शक्तियाँ	आफिसर	शर्तें तथा निबन्धन
1.	अध्यादेश की धारा (3) के अधीन वन उपज, इकाई गठित करने की शक्ति।	वन संरक्षक वन उपज भोपाल	इस शक्ति का प्रयोग राज्य शासन की पूर्व मन्जूरी से किया जावेगा।
2.	अध्यादेश की धारा 4 के अधीन अभिकर्ताओं को नियुक्ति तथा नियुक्ति रद्द करने की शक्ति	क्षेत्रीय वृत्त के प्रभारी वन संरक्षक	इस शक्ति का प्रयोग राज्य शासन की पूर्व मन्जूरी से किया जावेगा।
3.	अध्यादेश की धारा 8 के अधीन डिपो खोले जाने के निर्देश देने की शक्ति	खंडीय वन अधिकारी (वन मण्डलाधिकारी)	
4.	अध्यादेश की धारा 19 (1) के अधीन अपराधों का प्रशमन की शक्ति	क्षेत्रीय वृत्त के प्रभार वन संरक्षक तथा खण्डीय वन अधिकारी (वन मण्डलाधिकारी)	

(म. प्र. राजपत्र दि. 1-8-69 पृष्ठ 1917-18 में प्रकाशित)

(2) क. 6880/69 दिनांक 23 अक्टूबर, 1969 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 23 अक्टूबर 1969 में प्रकाशित) के द्वारा शासन ने धारा 5 (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज को क्रय करने के लिये वन रक्षक तथा उससे उच्च पद के समस्त वन अधिकारियों को इस खण्ड के प्रयोजन के लिये प्राधिकारी नियुक्त किया है।

(3) क्रमांक 4247/अ/दस/69 दिनांक 1 अगस्त, 1969 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 1-8-69 पृष्ठ 1917 में प्रकाशित) के द्वारा राज्य शासन ने धारा 5(1) के अन्तर्गत समस्त वन अधिकारियों को उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारों में उक्त धारा के लिये प्राधिकृत किया गया है।

धारा 15. अधिहरणीय सम्पत्ति की तलाश, अभिग्रहण और उसके लिये प्रक्रिया - (1) कोई वन अधिकारी, जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जावे या कोई सहायक उपनिरीक्षक पुलिस से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, या स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है -

¹(1) विनिर्दिष्ट वन उपज के परिवहन के लिये उपयोग में लाये गये या लाये जाने के आशयित किसी व्यक्ति (Person), नाव, गाड़ी (Vehicle) या पात्र (Receptable) को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा किसी स्थान में प्रवेश कर उसकी तलाशी ले सकेगा।

²(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी विनिर्दिष्ट वनोपज के बारे में इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया है, तब ऐसा कोई वन अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे या सहायक उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी विनिर्दिष्ट वनोपज को, ऐसे समस्त औजारों, नावों, गाड़ियों, रस्सों, जंजीरों या किन्हीं अन्य वस्तुओं सहित अभिग्रहीत कर सकेगा जिसका कि उपयोग इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसा अपराध करने में किया है।

नोट - (1) म. प्र. शासन (वन विभाग की अधि. क्र. 15-1-87-द-3(1))/(2) दिनांक 26.12.90 से तथा 15(1) तथा 15(2) के अन्तर्गत समस्त वन अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतु अपने क्षेत्राधिकारी में अधिकृत करता है।

(2) म. प्र. शासन, वन विभाग, अधि. क्र. 18.7.85-दस-3(2) दि. 20.8.87 से धारा 15(1) तथा 15(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सहायक उपनिरीक्षक पुलिस से अनिम्न पुलिस अधिकारियों को अधिकृत करता है।

(3) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण (Seize) करने वाला कोई ऑफिसर या व्यक्ति ऐसी समस्त सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगायेगा, कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण किया गया है और अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति को यथाशक्य शीघ्र सहायक वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के ऑफिसर के, जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया हो (जो इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत ऑफिसर के नाम से निर्दिष्ट है) समक्ष पेश करेगा या जहां परिमाण या प्रपुंज (Bulk) को, अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, यह साध्य न हो कि अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश किया जा सके, जहाँ वह अभिग्रहण की बाबत रिपोर्ट प्राधिकृत ऑफिसर को करेगा या जहाँ अपराधी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाहियाँ तुरन्त करना आशियित हों, वहाँ ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, उस मजिस्ट्रेट को करेगा जो उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखता हो, जिसके कि कारण अभिग्रहण किया गया है :

क्र. एफ.26-2-2003-दस-3- मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) की धारा 15 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 18-1-87-दस-3(1) दि. 26 दिसम्बर 1990 को प्रकाशित हुई है, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 28 दिसम्बर 1990 को प्रकाशित हुई है, राज्य सरकार एतद्वारा क्षेत्रीय उप संभाग का प्रभार रखने वाले समस्त अधिकारियों, क्षेत्रीय वन संभाग का प्रभार रखने वाले अधिकारियों, राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक तथा अभ्यारण्य के अधीक्षक को उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

परन्तु जब विनिर्दिष्ट वन उपज, जिसके बारे में ऐसा अपराध किये जाने का विश्वास किया जाता है सरकार की सम्पत्ति है और अपराधी अज्ञात है, तब यदि ऑफिसर परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को दे देगा तो पर्याप्त होगा।

²(3-a) रेंजर से अनिम्न रैंक का कोई वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने यथा

-
1. म. प्र. वन उपज व्यापार विनियम (संशोधन) अधिनियम 1990 धारा 15(1) तथा 12(2) संशोधित।
 2. म.प्र. अधि. क्र. 14 वर्ष 2007 (म.प्र. वनोपज व्यापार विनियम (संशोधन अधिनियम) 2006 द्वारा 3अ तथा 5-अ जोड़ा गया।

अधिहरणीय कोई औजार, नाव, गाड़ी, रस्से, जंजीरे या कोई अन्य वस्तु अभिग्रहीत की हैं, इस प्रकार अभिग्रहीत संपत्ति को अधिहरण का आदेश करने वाले प्राधिकृत अधिकारी या उस मजिस्ट्रेट, जो उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखता हो, के समक्ष जब ऐसा अपेक्षित हो, पेश करने हेतु ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित ऐसी संपत्ति के मूल्य के दुगुने के बारबर रकम की प्रतिभूति का ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, उसके स्वामी द्वारा निष्पादन करने पर निर्मुक्त कर सकेगा।"

(4) उपधारा (6) के अधीन रहते हुए जहाँ प्राधिकृत ऑफिसर का, यथा स्थिति विनिर्दिष्ट वनोपज अपने समक्ष पेश किये जाने पर या अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट के प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है, कि उसके बार में अपराध किया गया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उस विनिर्दिष्ट वन उपज को जो इस प्रकार अभिग्रहित की गई है, समस्त औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों, अन्य किसी अन्य वस्तुओं के साथ जिनका कि उपयोग ऐसे अपराध करने में किया गया है अधिहृत कर सकेगा। अधिहरण के आदेश की एक प्रति, बिना असम्यक विलम्ब के, वृत्त के ²भारसाधक अधिकारी को भेजी जावेगी, जिसके क्षेत्र में वन उपज अभिग्रहीत की गई है।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहृत (Confiscate) करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जावेगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी -

(क) सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियाँ शुरू किये जाने के बारे में सूचना उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूपों में भेज दें।

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे वह सम्पत्ति अभिग्रहीत की गई, तथा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके बारे में प्राधिकृत ऑफिसर को यह प्रतीत होता हो कि उसका ऐसी सम्पत्ति में कोई हित है, लिखित सूचना नहीं देता।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को, प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध, ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जावे, अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दे देता, और

(घ) अभिग्रहण करने वाले ऑफिसर या व्यक्ति की तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों की, जिसे या जिन्हें खण्ड (ब) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई उस प्रयोजन के लिये नियत की जाने वाली तारीख को नहीं कर लेता।

'(5-क) जहाँ मामले की अधिकारिता रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी अभिग्रहण या अन्वेषण में स्वयं अन्तर्गस्त है वहाँ अगला उच्च प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए उसी रैंक के किसी अन्य अधिकारी के मामले अंतरित कर सकेगा।'

(6) उपधारा (4) के अधीन किन्हीं औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या किन्हीं अन्य वस्तुओं के (जो अभिग्रहीत की गई विनिर्दिष्ट वनोपज से भिन्न हों) अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जावेगा यदि उपधारा (5) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत ऑफिसर के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि किन्हीं ऐसे औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना या यथास्थिति उसके नौकर या अभिकर्ता की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और यह कि इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध के किये जाने के लिए पूर्वोक्त वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए समस्त युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्व सावधानियाँ बरती गई थी।

1. म.प्र. अधि. क्र. 14 वर्ष 2007 (म.प्र. वनोपज व्यापार विनियम (संशोधन अधिनियम) 2006 द्वारा 3A तथा 5-A जोड़ा गया।

2. म.प्र. वन उपज व्यापार विनियम (संशोधन) अधिनियम 2009 की धारा (3) (4) से संशोधित।

'6-क. अधिग्रहीत वन उपज या कोई अन्य सम्पत्ति, यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्मुक्त किए जाने हेतु आदेशित की गई हो, तो प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्टि होने तक या धारा 15-क के अधीन यथा विनिर्दिष्ट उसके द्वारा "स्वप्रेरण" से कार्रवाई प्रारम्भ करने की कालावधि का अवसान होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, निरंतर अभिरक्षा के अधीन बनी रहेगी'

'(7) इस धारा के अन्तर्गत तलाशी एवं जप्ती में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 वर्ष 1973) की धारा 102, 103 के तलाशी एवं जप्ती सम्बन्धी प्रावधान, जहाँ तक लागू हो, लागू होंगे।)

धारा 15. क. प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील - (1) प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश किये जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर, या ऐसी आदेश सम्बन्धित तथ्य की संसूचना उसे नहीं दी गई हो, तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीन दिन के भीतर, उस वन वृत्त के, जिसमें वह वन उपज अभिग्रहीत की गई हो, ³वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी (जो इसमें इसके पश्चात् अपील अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) को लिखित में अपील कर सकेगा, जिसके साथ ऐसी फीस दी जायेगी और जो ऐसे रूप में होगी जैसे कि विहित किया जाये और उसके साथ ²[प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी।

स्पष्टीकरण - (1) इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जावेगा जो प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रही हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, उस दशा में जबकि उसके समक्ष कोई अपील न की गई हो, अभिग्रहण करने वाले ऑफिसर को, या व्यक्ति को, और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी यदि कोई हो, भी आता है) जिसका कि अपील प्राधिकारी की राय में अधिहरण के आदेश से प्रतिकूलता प्रभावित होना संभाव्य है, स्वप्रेरण से की जाने वाली कार्यवाही की सूचना प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रति,

उसे प्राप्त होने की तारीख से तीन दिन के भीतर स्वप्रेरणा (Suo-moto) से दे सकेगा, और अपील के ज्ञापन के पेश किये जाने की दशा में, वह अपील की सुनवाई की सूचना उक्त व्यक्तियों को देगा, और मामले का अभिलेख मंगा सकेगा :

परन्तु अपील की कोई औपचारिक सूचना, अपीलार्थी, अभिग्रहण करने वाले कोई ऑफिसर या व्यक्ति को और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसका कि पूर्वोक्तानुसार प्रतिकूलतः प्रभावित होना संभाव्य है, में से उसको दिया जाना आवश्यक नहीं होगा जो सूचना का अधित्यजन (waive) कर दे या जिसे अपील की सुनवाई की तारीख, प्राधिकारी द्वारा, किसी अन्य रीति में सूचित की जा सकती हो।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील किये जाने की, स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही किये जाने के बारे में प्राधिकृत ऑफिसर को लिखित सूचना देगा।

(4) अपील अधिकारी, अधिहरण की विषय-वस्तु की अभिरक्षा, उसके परिरक्षण (Preservation) या व्ययन (Disposal) (यदि आवश्यक हो) के लिए अंतरिम (Interim) स्वरूप के ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि उसे, उस मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत या उचित प्रतीत हों।

1. म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 2006 (क्र. 14 वर्ष 2007) से नियत 15(र) संशोधित। (धारा 6-'अ' जोड़ी गई)

2. म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियम) संशोधन अधिनियम 1990 से धारा 15-(7) जोड़ी गई।

3. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियम) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा (4) द्वारा संशोधित।

(5) अपील प्राधिकारी, मामले की प्रकृति या अन्तर्गस्त जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, अपील के पक्षकारों, को उनका प्रतिनिधित्व, उनके अपने-अपने विधि व्यवसायियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) अपील की या स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को, जिसके लिये रखी जावे, अपील प्राधिकारी अभिलेख का परिशीलन (Peruse) करेगा और यदि अपील के पक्षकार यदि स्वयं उपस्थित हों तो उनकी सुनवाई करेगा या लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी अभिकर्ता की मार्फत या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत उनकी सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने, या उसे उपांतरित (Modification) करने का आदेश पारित करने के लिये अग्रसर होगा :

परन्तु कोई अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व, अपील प्राधिकारी, यदि अपील के उचित विनिश्चय के लिये या स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही के उचित निपटारे के लिये, यह आवश्यक समझा जाता है, कि अतिरिक्त जाँच या तो प्राख्यान या खण्डन करने के लिये पक्षकारों को शपथ-पत्र फाइल करने के लिये भी अनुज्ञा दे सकेगा और तथ्यों का सबूत शपथ-पत्र द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपील प्राधिकारी, पारिमाणिक स्वरूप (Consequential Nature) के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

(8) अन्तिम आदेश की या पारिमाणिक स्वरूप आदेश की प्रति, अनुपालन के लिये या अपील अधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिये, प्राधिकृत ऑफिसर को भेजी जावेगी।

धारा 15. (ख) अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण - अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये अन्तिम आदेश से या पारिमाणिक स्वरूप के आदेश से व्यथित हो, उस आदेश के, जिसके विरुद्ध आक्षेप किया जाना इप्सित है, तीस दिन के भीतर, उस सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकेगा, जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

स्पष्टीकरण - (1) इस उपधारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जो अपील अधिकारी के आदेशों की प्रमाणिक प्रति अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित रहा हो।

(2) सेशन न्यायालय, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी अन्तिम आदेश की या किसी पारिमाणिक स्वरूप के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित किये गये आदेश की प्रतियाँ अपील प्राधिकारी को तथा प्राधिकृत ऑफिसर को अनुपालन के लिये, या ऐसे अतिरिक्त आदेश पारित करने के लिए, या ऐसी अतिरिक्त कार्यवाही करने हेतु भेजी जायेगी जैसा कि ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाये।

(4) इस धारा के अधीन, किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने (Entertaining), उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने (Decide) के लिये, सेशन न्यायालय उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जिसका कि प्रयोग और अनुसरण वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन से किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने, और उसका विनिश्चय करने के समय करता है।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पारित किया गया सेशन न्यायालय का ओदश अन्तिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत (Called in question) नहीं किया जाएगा।

धारा 15-ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्जन - (Bar) उस अपराध का, जिसके कारण उस सम्पत्ति का, जो कि अधिहरण की विषय-वस्तु है, अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियाँ शुरू की जाने के बारे में धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी जो यथास्थिति धारा 15, 15-क तथा 15-ख में निर्दिष्ट प्राधिकृत ऑफिसर, अपील अधिकारी, सेशन न्यायालय से भिन्न हो को इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन या वितरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसके कि बारे में धारा 15 के अधीन कार्यवाहियाँ शुरू हो गई हैं :

परन्तु सम्पत्ति के व्ययन (disposal) के लिए कोई आदेश पारित करने के पूर्व, मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन कोई सूचना उसके न्यायालय को या उस अपराध का, जिसके कारण सम्पत्ति का अभिग्रहण किया गया है। विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है।

स्पष्टीकरण - (1) जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता दो या अधिक न्यायालयों को हो, वहाँ ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में से किसी एक को धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन की सूचना प्राप्त हो जाने का यह अर्थ लगाया जायेगा कि उस उपबन्ध के अधीन सूचना समस्त न्यायालयों को प्राप्त हो गई है और अधिकारिता का प्रयोग करने का वर्जन ऐसे समस्त न्यायालयों पर प्रवर्तित हो गई है और अधिकारिता का प्रयोग करने वर्जन ऐसे समस्त न्यायालयों पर प्रवर्तित होगा।

(2) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये किसी ऑफिसर को इस बात से निवारित करती है कि वह धारा 15 के अधीन अभिग्रहीत (Seized) की गई किसी सम्पत्ति को तुरन्त निर्मुक्त किये जाने का निर्देश किसी भी समय दे।

धारा 15. घ. सम्पत्ति का अधिहरण जबकि वह उपज सरकार की सम्पत्ति न हो - ऐसी समस्त विनिर्दिष्ट वन उपज, जो दोनों में से प्रत्येक, सरकार की सम्पत्ति नहीं है, और जिसके विषय में, इस अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, तथा समस्त औजार, नावें, गाड़ियाँ, रस्से, जंजीरें या कोई अन्य वस्तुएँ, जिसकी प्रत्येक दशा में उपयोग ऐसा उल्लंघन करने में किया गया है अपराधी को ऐसे उल्लंघन के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने पर धारा 15, 15-क, 15-ख, 15-ग के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए अधिहरणीय होगी।

धारा 16. शास्ति - यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो -

(क) वह कारावास से, जो ¹(दो वर्ष) तक का हो सकेगा या जुर्माना से जो ¹(पच्चीस हजार रुपये) तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

1. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियम) संशोधन अधिनियम 1990 से नियम 16 में संशोधन।

(ख) उस वन उपज को जिसके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन किया गया हो, या उसके ऐसे भाग का जैसा कि न्यायालय का उचित प्रतीत हो, सरकार के पक्ष में समपहरण (Forefeit) किया जा सकेगा।

परन्तु यदि न्यायालय की राय हो कि यथास्थिति सम्पूर्ण विनिर्दिष्ट वन उपज या उसके किसी भाग के सम्बन्ध के समपहरण का निर्देश देना आवश्यक नहीं है तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर ऐसा करने से विरत रह सकेगा।

धारा 17. प्रयत्न का दुष्प्रेरण - किसी भी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का प्रयत्न करें या उसके उल्लंघन को दुष्प्रेरित (Abets) करे तो यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

धारा 18. अपराधों का संज्ञान (Cognizance of Offences)- ¹वन खण्ड का भारसाधक अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी द्वारा या किसी अन्य आफिसर द्वारा, जो कि इस सम्बन्ध ने राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाये, उन तथ्यों के सम्बन्ध में, जिनसे कि अपराध बनता हो, की लिखित रिपोर्ट के बिना कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

नोट - मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना क्रमांक 4247/ब/दस/69 दि. 1 अगस्त, 1969 के द्वारा, (जो रापजत्र दि. 1 अगस्त, 1969 में प्रकाशित) धारा 18 के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समस्त सहायक वन संरक्षक व अतिरिक्त सहायक वन संरक्षकों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये अधिकृत किया है।

धारा 19. अपराधों का प्रशमन - (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी को इस बात के लिये सशक्त कर सकेगी कि वह -

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो कि उसने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए, जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करे; और

(ख) जब विनिर्दिष्ट वन उपज से भिन्न कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के कारण अभिगृहीत की गई है, तो समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय ऐसे अधिकारी द्वारा यथाप्राक्कलित उसके मूल्य का संदाय कर दिया जाने पर, उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर दे;

(2) यथास्थिति ऐसी धनराशि, या ऐसे मूल्य या दोनों का ऐसे अधिकारी को संदाय किया जाने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, उन्मोचित कर दिया जाएगा और विनिर्दिष्ट वन उपज से भिन्न अभिगृहीत सम्पत्ति, यदि कोई हो, निर्मुक्त कर दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाहियाँ नहीं की जाएगी;

(3) कोई वन अधिकारी इस धारा के अधीन तब तक सशक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह रैंजर की रैंक से अनिम्न रैंक का वन अधिकारी न हो, तथा उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धन की राशि किसी भी मामले में वन उपज के मूल्य के दोगुने से कम की नहीं होगी;

1. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियम) संशोधन अधिनियम 2009 से संशोधित।

परन्तु ऐसी वन उपज के मामले में, जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है, सरकार की सम्पत्ति नहीं है या ऐसी वन उपज के मामले में, जिसका मूल्य एक हजार रुपये से कम है या यदि अपराधी ने प्रथम बार अपराध किया है, तो संदिग्ध व्यक्ति को उन्मोचित किया जा सकेगा तथा वन उपज से भिन्न सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत की गई है, दस हजार रुपये की राशि के या ऐसी अभिगृहीत सम्पत्ति के मूल्य, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त की जा सकेगी; अभिगृहीत वन उपज केवल तब तक ही निर्मुक्त की जा सकेगी; जब वह, यथास्थिति, सरकार की सम्पत्ति नहीं है या जब उसके मूल्य का संदाय कर दिया जाता है।

नोट - (1) म.प्र. शासन ने अधिसूचना क्र. 4248/X/65 दि. 1 अगस्त, 1969 के द्वारा इस धारा के अधीन क्षेत्रीय वन संरक्षक तथा खण्डीय वन ऑफिसर को अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

टिप्पणी - (1) अपराधों का प्रशमन तभी पूर्ण होगा जब राजीनामा की राशि पटा दी गई हो। बिना राशि पटाये अपराध का प्रशमन होने पर तथा बाद में न पटाने पर यह राशि भू. रा. सं. की धारा 155 के अन्तर्गत राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य नहीं है। (देखें J.L.J 1978 पृष्ठ 613 प्रेमनारायण किशनलाल वि. म.प्र. राज्य) यही फैसला दिनेश कुमार वि. डी.एफ.ओ. में भी दिया गया है। (1948 Weekly notes 54)

(2) अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति - समस्त सहायक वन संरक्षक (क्षेत्रीय वन सम्भाग) वन्य जीव वन सम्भाग में पदस्थ क्षेत्रीय अधिकार रखने वाले समकक्ष अधिकारी समस्त खण्डीय वन अधिकारी तथा वन्य जीवन सम्भाग क्षेत्रीय संभाग में पदस्थ समकक्ष आफिसर वन्य जीव। राष्ट्रीय उद्यानों पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले वन वृत्त के आफिसर।

अध. क्र. 26.02.2002-दस-3 दिनांक 5.5.2008 से जोड़ा गया।

धारा 20. सद्भावनापूर्वक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यावृत्ति (Saving)- (1) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो, जिसका इस प्रकार किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर या किसी भी ऐसी बात के द्वारा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका ऐसा किया जाना आशयित रहा हो, पहुँचाये गये या संभाव्यता पहुँचाये जाने वाले किसी नुकसान अथवा उठाई गई या संभाव्यतः उठाई जाने वाली किसी क्षति के लिये कोई वाद या विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

धारा 21. नियम बनाने की शक्ति - (म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 के द्वारा संशोधित)

- (1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, इस अधिनियम के समस्त उपबन्धों को या उसके किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतः और पूर्वग्रामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्
- (क) धारा 4 के अधीन अभिकर्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी निबन्धन शर्तें तथा प्रक्रिया
- (ख)(एक) विनिर्दिष्ट वन उपज का वह परिमाण, जिसका कि धारा 5(2) (ख) के अधीन उपभोक्ता द्वारा परिवहन किया जा सकेगा।
- (दो) धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन अभिवहन पास के निबन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्याधीन रहते हुए विनिर्दिष्ट वन उपज का परिवहन किया जा सकेगा, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा तथा वह रीति जिसमें तथा वह फीस जिसका संदाय किया जाने पर ऐसा अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
- (ग)(एक) धारा 6(3) के अधीन समिति के कामकाज के संचालन की रीति।
- (दो) ऐसे भत्ते जिनके लिये समिति के सदस्य धारा 6(4) के अधीन हकदार होंगे।
- (घ) धारा 7 के अधीन मूल्य सूची का प्रकाशन।
- (ङ) धारा 9 (3) के अधीन जाँच करने की रीति।
- (च)(एक) विनिर्दिष्ट वन उपज के परिमाण की धारा 10 के अधीन विहित किया जाना
- (दो) धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति।
- (छ)(एक) विनिर्दिष्ट वनोपज के परिमाण की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन विहित किया जाना।
- (दो) वह कालावधि जिसके भीतर, वह फीस जिसके संदाय तथा वह रीति जिसमें धारा 1 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा।

- (तीन) वे घोषणाएँ, लेखे तथा विवरणियाँ जो कि धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की जायेंगी और वह प्ररूप जिसमें, वह अफसर जिसे तथा वे अन्तराल जिन पर वे प्रस्तुत की जावेंगी।
- ¹(छ-छ) धारा 12-क की उपधारा (3) के अधीन वह ²राशि जिसका संदाय किया जाने पर अनुज्ञा दी जा सकेगी।
- (ज) वह प्ररूप जिसमें, वह प्राधिकारी जिसे, तथा
- (एक) वह रीति जिसमें धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन पत्र दिया जायेगा।
- (दो) अनुज्ञति के जारी किये जाने तथा उसके नवीनीकरण के लिये फीस और वे निबन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी अनुज्ञति मन्जूर की जायेगी।
- ²(ज-ज) धारा 15 की उपधारा 5 के अधीन वह पारूप, जिसमें सम्पत्ति के अधिहरण की कार्यवाही की सूचना भेजी जावेगी।
- ²(ज-ज-ज) धारा 15-क की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें अपील की जायेगी तथा वह फीस जो ऐसी अपील के साथ प्रस्तुत की जायेगी और रूप जिसमें उसका संदाय किया जायेगा।
- (झ) कोई अन्य विषय, जिसका इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना आवश्यक समझा जावे।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा पटल पर रखे जावेंगे।
- ³(धारा 22. भारतीय वन अधिनियम के उपबन्ध अन्य विषयों को लागू होंगे-

-
1. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1986 (क्र. 15 वर्ष 1987) द्वारा जोड़े गये।
 2. म.प्र. (व्यापार विनियम) संशोधन अधिनियम 1990 (क्र. 16 वर्ष 1990) द्वारा संशोधित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 21.8.90 पृष्ठ 1937-1938 पर प्रकाशित।
 3. म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियम) संशोधन अधि. (क्र. 15 वर्ष 1987) द्वारा संशोधित।

(1) विनिर्दिष्ट वन उपज से सम्बन्धित वे विषय जिनके लिये इस अधिनियम में उपबन्ध नहीं हैं और जिनके लिये उपबन्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927, (1927 का सं. 16) में है, उस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

(2) किसी अन्य विधि, नियम या आदेश में, या राज्य के किसी क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाले किसी अन्य विषय में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उन विषयों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट वन उपज को लागू नहीं होगी जिनके लिये इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट है।

¹(धारा 22-क. विनिर्दिष्ट वन उपज की अधिनियम से प्रवर्तन से अपरिवर्तित करने की शक्ति - (1) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट की गई तारीख से कोई वन उपज जो धारा 1 की उपधारा (3) में वर्णित या उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, विनिर्दिष्ट वन उपज नहीं रहेगी।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर एक ऐसी ही अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट की गई तरीक से वह विनिर्दिष्ट वन उपज न रह गई हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वन उपज होगी।

(3) उपधारा (1) या (20) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी किये जाने के पश्चात्शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

धारा 23. निरसन - मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1969 (क्र. 9, वर्ष 1969) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

न्यायालयीन निर्णय

टिप्पणी - (1) सन्तोष कुमार मिश्रा वि. म.प्र. राज्य मे न्यायमूर्ति श्री सी.पी. सेन ने यह निर्णय प्रदान किया है कि म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 15 के अधीन यदि किसी वन

अधिकारी ने ट्रक जप्त किया है तो ऐसी जप्ती पुलिस विभाग द्वारा जप्ती नहीं मानी जावेगी तथा ऐसी जप्ती के लिये द.प्र.सं., 1973 की धारा 457 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(2) करोड़ी मल अग्रवाल वि. म.प्र. राज्य (म.प्र. ला. जन. 1988 पृष्ठ 600) में अपराध 18-11-83 को हुआ। इस प्रकरण में वन अधिकारी ने म.प. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम के नियम 15 के अन्तर्गत अधिहरण का आदेश दिया गया। यह आदेश नियम के विरुद्ध था। तथा इस प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम क्र. 16/1927 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे तथा धारा 22 की रोक के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 का संशोधित म.प्र. अधिनियम 25/1983 (प्रभावी दिनांक 1-11-1983 को संशोधित) की धारा 52ए को लागू नहीं किया जा सकता और वन उपज व्यापार विनियमन (म.प्र.) अधिनियम 1969 के संशोधन अधिनियम क्र. 15/1987 के पूर्व की अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही को उस विशेष अधिनियम के अधीन कायम नहीं रखा जा सका।

(4) ओम प्रकार अग्रवाल वि. स्टेट म.प्र. - 1994 (11) म.प्र. ज्युडिशियल रिपोर्टर 145 में जस्टिस यू.एल. भट तथा जस्टिस एम.व्ही. तामस्कर डीबी हाईकोर्ट म.प्र. ने इस मामले के रिफरेंस के साथ विधि का यथार्थ विश्लेषण किया है जिसमें 27, 28 दिसम्बर 1983 की बीच रात्रि का वन अपराध है इसमें हाईकोर्ट ने भारतीय वन अधिनियम 1927 के म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25/1983 (प्रभावी 1-11-1983) के अधीन यदि अधिहरण की कार्यवाही आवश्यक समझी जाये तो यान के मालिक को पूर्व नोटिस तथा सुनवाई का अवसर देकर की जा सकती ऐसा विनिश्चित किया - (पैरा 8) तथा वर्तमान में अधिहरण की बिना नोटिस और सुनवाई का अवसर दिये की गई कार्यवाही को अवैधानिक ठहराकर निरस्त किया (पैरा 3, 8) 1994 (II) म.प्र. जे.आर. 145) डबी हाईकोर्ट (म.प्र.)।

1. म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) संशोधन क्र. 16 वर्ष 1972 की धारा-3 से नियम 22(क) जोड़ा गया।

स्टेट म.प्र. वि. राकेश कुमार 1994 (1) म.प्र. ज्युडिशियल रिपोर्टर 368 (जस्टिस एस.के. दुबे म.प्र. हाईकोर्ट) धारा 52 एवं 52-सी (संशोधित अधिनियम क्र. 25/1983) के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को विधिवत वन अपराध के कारित होने के संदर्भ में वन उपज या यान, उपकरण का अभिग्रहण, वन अधिकारी द्वारा की जाने तथा अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना दे दी जिससे उस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 457 और 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कार्यवाही करने की अधिकारिता cease (समाप्त) हो जाती है - जस्टिस ए.के. दुबे ने विनिश्चित किया - "The Seizure of the truck by the police officer for the forest offence coupled with the offence under Penal Code or any other enactment, in the opinion of this Court, will not make any difference after the intimation of initiation of proceedings under sec. 52(4) of Confiscation and the jurisdiction will stand ousted of the magistrate concerned to deal with the subject-matter so seized for passing the order for interim or final custody under the provisions of Sec. 451 and 457 Cr P.C." 1994(1) M.P.J.R. 368 para 110(H.C., M.P.) Justice S.K. Dubey);

(1) कन्हैयालाल वि. स्टेट म.प्र. - 1998 जलाज 94 इस मामले में ट्रक पुलिस द्वारा सीज (Seize) नहीं किया गया था तथा मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ था। धारा संशोधित 52-C (IF Act) के कारण धारा 451 Cr PC की अधिकारिता ousted होनी मानी गई।

(2) अशोक कुमार वि. स्टेट म.प्र. - क्रिमिनल रिव्यूजन क्र. 59/1989- निर्णीत दि. 13-4-1994 Unreported case में भी यही View किया गया है।

(3) (रेंज फारेस्ट आफिसर वि. रोडीलाल - 1987 क्रीमीनल लॉ जनरल 1314) - में करार दिया गया कि जब सेशन न्यायालय धारा 52-B(2) (IF Act) के अधीन रिव्यूजन सुनता है तब अिदकारिता पर रोक हट जाती है जिसमें सेशन जज उस आदेश के विरुद्ध रिव्यूजन आवेदन पर विचार करता है जिसमें अपीलीय आदेश में अपील को निरस्त कर अधिहरण की धारा 52 (IF Act) में की गई कार्यवाही बहाल रखी गई है।

रिषी नाथ सिंह वि. स्टेट म.प्र. - 1992 म.प्र. लॉ जर्नल 159 - एक ट्रक वन विभाग ने सीज (Seize) किया था और पुलिस स्टेशन में मामला 353, 186 सहपठित धारा 34(IPC) में रजिस्टर हुआ था किन्तु धारा 52-C(IF Act) की दृष्टि से कन्हैयालाल केस (उपरोक्त) तथा बाबूलाल लोदी वि. स्टेट म.प्र. - 1987 ज.ला.ज.

423 का अनुसरण करते हुए धारा 451, 457, CrPC की कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित नहीं रहना (not saved) माना गया।

स्टेट म.प्र. वि. कुंवर लाल (1994(1) म.प्र. वी. नोट 48) - इस मामले में ट्रैक्टर ट्राली पत्थरों के Slabs ले जाते हुए वन विभाग के प्राधिकारी ने Seize किया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इन्टीमेशन दिया अतः धारा 457 CR PC की अर्जी खारिज हुई।

(4) महुआ फूल विनिर्दिष्ट वनोपज दि. 12-6-72 से नहीं रहा है।

(5) अन्य विधि लागू न होना - ऐसा लागू न होना आंशिक है, पूर्ण नहीं कन्हैयालाल वि. म. प्र. राज्य 1988 J.L.J. 94 Such exclusion is partial & not absolute

मिसलेनियस पिटीशन क्र. 2875/1983 जबलपुर, के दि. 24.6.88 के निर्णय अनुसार वन अधिकारी द्वारा वनोपज राजसात करने के आदेश विधि विरुद्ध हैं। अधिनियम में संशोधन अधि. (15 वर्ष 1987) के पूर्व वन अधिकारियों को यह शक्ति नहीं दी है।

(6) अपराध में जप्त वाहन जिसके विरुद्ध राजसात की कार्यवाही चल रही हो, इस कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना न्यायालय को देने के उपरान्त मजिस्ट्रेट को द.प्र.स. की धारा 451-457 के अन्तर्गत ट्रक को सुपर्दनामें पर देने की अधिकारिता नहीं रहती है। (रिशोनाथ वि. म.प्र. राज्य प्र.क्र. 163 वर्ष 1991) MPLJ 1992 Page 159.

(7) धारा 15 (i) तथा 15(5) - प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यान के अधिहरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्बन्धित मजि. को ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना दी। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण के अन्यथा किसी भी न्यायालय या अधिकारी को यान छोड़ने की अधिकारिता नहीं है। म.प्र. राज्य वि. अनिल किशोर 1996(i) M.P.W.N. 31